ISSN 2395-051X

कोविड-19, श्रम पलायन एवं कानून

(एक समीक्षात्मक अध्ययन)

डॉ. आनंद तिवारी

विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक - वाणिज्य विभाग

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश :-

कोरोना संक्रमण ने समूची अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल दिया है तथा चिकित्सा संसाधनों की जड़ों को उखाड़ फेंका है। यदि इस वायरस से लंबी अवधि तक संक्रमण फैलता है तो चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में लंबी अवधि के लिए जाने की आशंका बढ़ जायेगी, जिसके प्रभाव तीन रूपों में परिलक्षित होंगे : प्रथम रूप में बेरोजगारी आयेगी जिससे गरीबी का कुचक्र बढ़ेगा, दूसरे श्रमिकों का पलायन शहरों में नहीं होगा और तीसरे उत्पादन तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ रूकने से सरकार को समुचित राजस्व नहीं मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक गतिविधियों को आरंभ किया जाये चूंकि उत्पादन में निवेश आवश्यक है इस हेतु उद्योगपतियों को जोखिम उठाने हेतु प्रेरित करना आवश्यक होगा। श्रम कानूनों में बदलाव ऐसा किया जाये ताकि एक उद्योग जगत के व्यवसायियों को अभिप्रेरणा मिल सके, दूसरी ओर श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मुख्य-शब्द- कोविड, पलायन, श्रम, प्रवासी।

शोध समस्या का चयन : वर्ष 2020 भारत सहित संपूर्ण विश्व को चुनौती एवं भयावह पूर्ण वर्ष है, इतिहास में पहली बार मानव प्रकृति के समक्ष नतमस्तक खड़ा है। विज्ञान तथा तकनीक के सहारे मानव ने एक ओर समुद्र की अथाह गहराईयों को नापने का उपक्रम कर लिया है तो दूसरी ओर एवरेस्ट के शिखर को छू लिया है, साथ ही अंतरिक्ष पर फतह पा ली है, परन्तु मनुष्य अपनी बनायी उपभोक्तावादी एवं विलासिता पूर्ण जीवन शैली को अंगीकार कर प्रकृति के समक्ष विवश है, कतिपय मनुष्य की लालसाओं, विलासिता एवं उपभोक्तावादी दृष्टिकोण ने संपूर्ण मानवता के जीवन के अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर दिया है।

कोविड-19 प्रकृति जनित वायरस है अथवा मानव जनित वायरस। यह अभी वैज्ञानिक के शोध एवं अन्वेषण का विषय है। परन्तु इस लघु वायरस ने समूची दुनिया को जीवन जीने के तरीके का पुनर्परिभाषित कर दिया है। आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिससे यह अछूता रहा हो। प्रारंभिक स्थिति में यह कयास लगाया जा रहा था कि इस वायरस के संक्रमण का प्रभाव चीन तक सीमित रहेगा किन्तु इस वायरस का संक्रमण का प्रभाव त्वरित गति से यूरोपीय देशों पर परिलक्षित होने लगा और फिर इस वायरस ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ-साथ समूचे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया।

संपूर्ण भारत में वायरस की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम के रूप में दीर्घवधि का लॉकडाउन को अपनाया

गया, तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कदम प्रशंसनीय अवश्य कहा जा सकता है क्योंकि इस कदम को उठाये जाने का प्रत्यक्ष लाभ देश में कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करने हेतु यथोचित अवसर मिलता रहा है। परन्तु एकाएक लॉकडाउन ने अनेक समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं जिनमें बुनियादी समस्या है महानगरों से श्रमिकों के गाँव की ओर पलायन की समस्या। प्रस्तुत शोध पत्र में इसकी श्रम पलायन की समस्या से सम्बद्ध विविध पहलुओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

शोध परिकल्पनायें :

1. लॉकडाउन नितांत आवश्यक कदम था, परन्तु कतिपय सीमा तक यह जल्दवाजी में उठाया कदम था।
2. महानगरों से गाँव की ओर पलायन करने वाले श्रमिकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयीं।
3. विभिन्न राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में रियायतें दी गईं।
4. श्रम उत्पादन प्रक्रिया में सजीव संसाधन है, परंतु आज भी उपेक्षा का शिकार है।

शोध प्रविधि :

शोध आलेख की विषय वस्तु एवं उद्घाटित शोध समस्या समीक्षात्मक है इसलिए अध्ययन एवं विश्लेषण का आधार द्वितीयक स्त्रोत, शोध सामग्री रही है। कोविड-19 से संबंधित विभिन्न शोध लेखों, विषय विशेषज्ञों का साक्षात्कार तथा टी.वी. वार्ता को आधार मानकर शोध आलेख तैयार किया गया हैं

शोध सीमायें :

शोध समस्या तात्कालिक आर्थिक घटना से सम्बद्ध होने के कारण शोध आलेख में समंकीय तथ्यों को नहीं लिया गया है और इन समंकों का वर्गीकरण सारणीयन तथा निवर्चन किया गया है शोध सामग्री द्वितीय स्त्रेतों से सम्बद्ध है।

अध्ययन एवं विश्लेषण :

श्रमिकों का पलायन क्या औचित्यपूर्ण था :

कोरोना संकट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है, अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे न केवल चिकित्सा संकट माना है अपितु सामाजिक एवं आर्थिक संकट भी माना है। इस संकट की घड़ी में मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की पहली आवश्यकता है साथ ही कोविड-19 की रोकथाम हेतु सामाजिक दूरी बनाये रखने में सरकार का समर्थन देना तथा सभी को सोशल डिस्टेंसिग का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु लॉकडाउन जैसे कदम का उठाना लाजिमी था, परंतु इस लम्बी लॉकबंदी ने महानगरों में जीवन जी रहे श्रमिकों को जिन परिस्थितियों में पुनः अपने गाँवों की ओर पलायन करने को मजबूर होना पड़ा, निःसंदेह पीड़ादायक है। यह वास्तव में पलायन नहीं है पलायन तो तब था जब वे गाँव छोड़कर प्रवासी बनने हेतु मजबूर थे।

कोरोना संकट में हाल के अध्ययन के अनुसार असंगठित क्षेत्र के 17 प्रतिशत कामगार ऐसे हैं जिनके नियोक्ता की पहचान सुनिश्चित हो सकती है। 83 प्रतिशत कामगारों के नियोक्ता कौन है? पता लगाना दुष्कर कार्य है ऐसे पलायन करने वालो की संख्या दस करोड़ है। प्रत्येक दस में से एक असंगठित कामगारों का हिस्सा है। एन. एस.एस. के आँकड़ों के अनुसार भारत में श्रमशक्ति की भागीदारी 5 प्रतिशत रह गई है अर्थात् 15 वर्ष से अधिक आयु वाली 50 प्रतिशत आवादी किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न नहीं है। सेंटर फॉर मानीटरिंग ऑफ इंडियन

इकोनामी (सी.एम.आई.ई.) के ताजे आंकड़ों के अनुसार अप्रैल माह तक भारत की बेरोजगारी दर 27 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी अर्थात् 12 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरी चली गयी जिसमें 75 प्रतिशत नौकरी असंगठित क्षेत्र की थी। श्रमिकों के पलायन के दुष्प्रभाव दो रूपों में परिलक्षित हुए हैं एक तो श्रमिकों के गाँव में पलायन से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पहले से मंदी की स्थिति से गुजर रही थी इससे इस क्षेत्र पर जनसंख्या का अत्यधिक भार बढ़ गया है जो प्रत्यक्ष बेरोजगारी के ग्राफ को और ऊपर ले जायेगा, दूसरे इन जब आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियाँ सामान्य स्थिति में आयेगी तो पुनः श्रमिकों की मांग (विशेषकर तकनीकी कुशलता प्राप्त तथा पेशेवर श्रमिकों) बढ़ेगी और इन पुनः महानगरों में प्रवास कठिन होगा। कोरोना भय तथा गरीबी से गुजर चुकी स्थिति श्रमिकों को नगरीय गतिशीलता प्रवाह में अवरोधक होगी, आवश्यकता इस बात की है।

प्रवासी श्रमिकों को किए जाने वाले प्रयास :

इस बात से कदापि इंकार नहीं किया जा सकता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों ने गरीब एवं कमजोर प्रवासी श्रमिकों को नकद लाभ, अग्रिम पेंशन, सामाजिक सुरक्षा सहायता के रूप में आय, राशन व्यवस्था खाद्य राशन, मजदूरी संरक्षण, आश्रित आबादी को खाद्यान्न व भोजन व्यवस्था के साथ-साथ चिकित्सा सुविधायें भी प्रदाय की हैं। परंतु सरकार द्वारा उठाये गए कदम श्रमिकों की हालात को बेहतर करने हेतु पर्याप्त नहीं है। श्रमिकों की दिशा एवं दशा और उनके हालात तथा अर्थव्यवस्था पर उसके योगदान तथा श्रम रोजगार से सम्बद्ध विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पहलुओं को नए सिरे से विचार करना आवश्यक होगा। कोरोना संकट का एक सबक यह भी है कि असंगठित क्षेत्र के स्वरूप को बदलने हेतु नीतिगत फैसले लेने होंगे, ऐसे फैसलों में असुरक्षित, अस्थायी, गारंटी विहीन या सामाजिक सुरक्षा विहीन होने पर कार्य से हटाया जाने पर प्रतिबंध लगाना होगा। भारत की लोकतांत्रिक जटिलता, भौगोलिक विस्तार, विविधता आर्थिक असमानता, समावेशी विकास से सम्बद्ध पहलुओं को दृष्टिगत रखकर कुशल या अकुशल श्रमिकों के पलायन को रोकने हेतु तथा आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक राज्य को उस राज्य की परिस्थिति के अनुरूप प्रयास करना होंगे।

राज्यों में न केवल कौशल आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा अपितु अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा से जोड़ना होगा ताकि कामगारों के पास नकदी का अभाव न रहे साथ ही ऐसे श्रमिकों को कार्य पर रखने वाले उद्यमियों के पास धन की तरलता रहे। उत्पादों के खपत हेतु बाजार उपलब्ध हो, श्रम संगठन द्वारा प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा हेतु तीन सुझाव दिये गये हैं, पहला श्रमिकों की आय तथा रोजगार की सुरक्षा तथा सहायता विशेषकर औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों महिलाओं, वृद्धों, विकलांग श्रमिकों जैसे कमजोर समूहों के लिए दूसरा, उन तक चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराना, तीसरा रोजगार सुरक्षा हेतु लघु एवं सूक्ष्म ग्राम्य कुटीर एवं लघु उद्योगों की रक्षा करना। इन उपायों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है कि श्रमिक नियोक्ता एवं सरकार के मध्य प्रभावी सूचना एवं समन्वय तंत्र विकसित हो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक को अपनाया जाये जो स्थायी हो तथा न्याय संगत भी है। आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक को अर्थशास्त्र एवं विकास हेतु मानव केन्द्रित दृष्टिकोण को समन्वित कर आत्मसात किया जाये। इस दिशा में एक अन्य प्रयास भी प्रासंगिक है कि रोजगार सृजन हेतु निवेश बढ़ाना आवश्यक है। यद्यपि निवेश एक जोखिमपूर्ण कार्य है परन्तु श्रम तथा रोजगार के अवसर इसी निवेश से उत्पन्न होते हैं ऐसे में आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति में सरकार निवेशक को यह विश्वास दिलाये कि उसके द्वारा किया गया निवेश जोखिम मुक्त है।

श्रम कानून में बदलाव :

कोरोना संक्रमण के चलते लंबी अवधि के लॉकडाउन के कारण देश में राष्ट्रीय राज्यीय तथा स्थानीय व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक गतिविधियों में अवरोध के परिणामतः आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विपणन तथा उत्पादन व्यवस्था सुचारू ढंग से पटरी पर लाने हेतु केन्द्र सरकार की पहल पर कतिपय राज्यों ने अपने श्रम कानूनों में आगामी तीन वर्षों के लिए बदलाव किया है, इन राज्यों में म.प्र., उ.प्र., गुजरात अग्रणी रहे हैं। इन्हीं राज्यों की तर्ज पर गोवा, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्यों में भी श्रम कानूनों में बदलाव लाया गया और बिहार तथा अन्य राज्य भी शीघ्र ही बदलाव ला सकते हैं। श्रम कानूनों में प्रमुख बदलाव निम्नानुसार किए गए हैं :-

1. व्यवसाय तथा उपक्रमों की पंजीयन तथा लायसैसिंग प्रक्रिया को सरल तथा ऑनलाईन कर दिया है।
2. उपक्रमों को पंजीयन तथा लायसैसिंग प्राप्त करने की अवधि 30 दिन नियत थी वह प्रक्रिया केवल एक दिन में पूरी होगी।
3. उ.प्र. में बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स सकल 1996 तथा वर्कमैन कम्पेनसेशन एक्ट 1923 तथा बंधुआ मजदूर एक्ट 1976 ही लागू होंगे।
4. श्रम कानून में बाल मजदूरी व महिला मजदूरी से संबंधित प्रावधान यथावत रहेंगे।
5. उद्योगों को अगले तीन माह तक सुविधानुसार शिफ्ट में कार्य कराने की सुविधा होगी।
6. म.प्र. में व्यावसायिक प्रतिष्ठान का सुबह 6 से रात्रि 12 बजे तक होगा जो पहले 8 से 10 तक का समय नियत था।
7. कामकाज हेतु पहले 6 रजिस्टर रखे जाते थे और 13 रिटर्न प्रस्तुत किए जाते थे परंतु अब केवल एक रजिस्टर तथा एक ही रिटर्न फार्म प्रस्तुत करना होगा।
8. 1000 दिनों की अवधि में श्रम निरीक्षक उद्योगों की जांच करने हेतु नहीं जायेगें।
9. दूर की अवधि में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 लागू होगी।
10. उद्योगों पर अब पेमेंट वेजज एक्ट 1936 की धारा 5 ही लागू होगी।

श्रम कानून के बदलाव पर श्रमिकों के हितों पर प्रभाव -

यद्यपि इस बात से कदापि इंकार नहीं किया जा सकता है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगों को पटरी पर लाने हेतु कतिपय ठोस कदम श्रम कानून में बदलाव हेतु नितांत आवश्यक थे लेकिन रेखांकित करने योग्य यह तथ्य है कि इन श्रम कानून के बदलाव में कहीं श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों को समाप्त करना तो नहीं है गैर लोकतांत्रिक ढंग से श्रम कानून में बदलाव हेतु अध्यादेश लाना एक असंवैधानिक तरीका माना सकता है। किन्तु कोविड-19 जैसी महामारी के चलते इन बदलावों को अपनाना एक नेशनल इमरजेंसी मानी जा सकती है।

श्रम कानून में किए गए बदलावों का प्रभाव श्रमिकों के हित पर निम्न रूपों में प्रतिकूल परिलक्षित होता है:-

1. श्रम संघों की मान्यता समाप्त होने से श्रमिक अपनी उचित समस्याओं एवं मांगों को किस मंत्र के माध्यम से रख सकेंगे।
2. श्रम कानून को छोड़कर सभी कानून 1000 दिनों के लिए निष्प्रभावी होने से इन कानूनों का क्रियान्वयन कठिन होगा।

3. अधिकारों को कतिपय कानून जैसे अनुबंध श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, श्रमिकों का स्वास्थ्य, कार्य की दशा और औद्योगिक विवाद का निपटारा समाप्त करने से श्रमिकों के बुनियाद अधिकार समाप्त हो गये।
4. पूर्व प्रावधान में 20 से अधिक श्रमिक वाले ठेकेदारों को पंजीकरण कराना आवश्यक था, अब यह संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है।
5. 50 से कम श्रमिक रखने वाले उद्योगों को श्रम कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
6. संस्थान अब अपनी सुविधानुसार श्रमिक को रख सकेंगे।
7. श्रमिक संगठनों को आशंका है कि उद्योगों की जांच और निरीक्षण से मुक्ति मिलने से कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा।
8. आशंका इस बात की है कि अर्थव्यवस्था अधिक समय मंदी की स्थिति में रही तो बड़े पैमाने पर छटनी और वेतन कटौती शुरू हो सकती है।
9. श्रमिकों को कार्य करने दशाओं और सुविधाओं पर निगरानी खत्म होने की भी आशंका है।

कोरोना संक्रमण ने समूची अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल दिया है तथा चिकित्सा संसाधनों की जड़ों को उखाड़ फेंका है। यदि इस वायरस से लंबी अवधि तक संक्रमण फैलता है तो चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में लंबी अवधि के लिए जाने की आशंका बढ़ जायेगी, जिसके प्रभाव तीन रूपों में परिलक्षित होंगे : प्रथम रूप में बेरोजगारी आयेगी जिससे गरीबी का कुचक्र बढ़ेगा, दूसरे श्रमिकों का पलायन शहरों में नहीं होगा और तीसरे उत्पादन तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ रूकने से सरकार को समुचित राजस्व नहीं मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक गतिविधियों को आरंभ किया जाये चूंकि उत्पादन में निवेश आवश्यक है इस हेतु उद्योगपतियों को जोखिम उठाने हेतु प्रेरित करना आवश्यक होगा। श्रम कानूनों में बदलाव ऐसा किया जाये ताकि एक उद्योग जगत के व्यवसायियों को अभिप्रेरणा मिल सके, दूसरी ओर श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

संदर्भ :

1. दत्त एवं सुंदरम, एस., भारतीय अर्थव्यवस्था : चांद कम्पनी, दिल्ली
2. मिश्र एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था : हिमालयन पब्लिकेशन, मुंबई
3. कोविड-19 भारत में लॉकडाउन से प्रवासी कामगारों पर प्रभाव : यू.एन. हिन्दु समाचार, आईएलओ निदेशक डागमार वाल्टर से वार्ता
4. आसिफ इकबाल लेख, कोरोना महामारी से दिल्ली में पंजीकृत श्रमिक
5. डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी लेख, सोशलिज्म के आदर्शलोक से नहीं श्रम कानून उदार बनाने से श्रमिकों को राहत
6. लेवर लॉ यूपी-एमपी समेत 6 राज्यों में बदला श्रम कानून : www.jagran.com
7. लेवर लॉ को खत्म करना बंधुआ मजदूरी को दावत देना है तो यह असंवैधानिक कैसे : hind.newsclick.in
8. कोरोना जंग में थमी हुई अर्थव्यवस्था और श्रम कानून में बदलाव का संकट : www.amarujala.com
9. मजदूरों का पलायन रोकने से नाकाम है भारत : www.dw.com

❖ ❖ ❖